न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–364/2019

शेख याहिया.....वादी

बनाम

शेख अब्दुल मजीद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.08.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 20.03.2023 संबंधित धारा 74 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 20.03.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी अपने दावे के समर्थन में कागजी साक्ष्य के रूप में अपना कागजात सूची के साथ दिनांक 04.08.2022 को श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। दाखिल कागजातों में कुछ सच्ची प्रतिलिपि होने के कारण लोक दस्तावेज है। जिनका विवरण आवेदन के अंत में दर्ज है। जिन्हें साबित करने के लिए औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नही है। सभी कागजात वाद के अंतिम न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें अन्यथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 02.05.2023 को वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें वादी का आवेदन पोषणीय नही बताया गया तथा कहा गया कि वादी के द्वारा आदेश 13 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पालन नही किया गया है। वादी के द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान कागज दाखिल किया गया है। इस कारण वादी के कागजात जब तक अभिलेख पर रखने की अनुमति न्यायालय द्वारा नही मिल जाती है तब तक प्रदर्श अंकित करने का प्रार्थना स्वीकारनीय है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख अभी वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद के अंतिम न्याय निर्णयन	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–364/2019

शेख याहिया.....वादी

बनाम

शेख अब्दुल मजीद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.08.2023	हेतु सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय में आना चाहिए जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से हो सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आना प्रतीत होते है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 20.03.2023 को मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर रखते हुये पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार सभी दस्तावेजों को प्रदर्श चिन्हित करें। आगामी दिनांक 08.09.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	